By Hand

प्रेषक

डॉ. जी. अनुपमा, भा.प्र.से.,
आयुक्त, फरीदाबाद मण्डल,
फरीदाबाद।

सेवा में

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
चण्डीगढ़।
क्रमांक जी.ए. / 2019 / 3288 दिनांकः 09.08.2019

विषयः– भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी, 2020 के अवसर पर पद्म पुरस्कार प्रदान करने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 26 / 9 / 2013–3पोल दिनांक 16.05.2019 के सन्दर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको अनुरोध सहित अवगत कराया जाता है कि उपायुक्त, फरीदाबाद ने अपने पत्र क्रमांक 6500 / एम0बी0–3 दिनांक 08.08.2019 द्वारा सूचित किया है कि प्रधान, इंडियन मैडिकल ऐसोसियेशन, फरीदाबाद द्वारा डॉ. रमण कक्कड जोकि जिला फरीदाबाद में गरीब और असहाय मजदूरों को उचित ईलाज दिलाने एवं संक्रमण रोगों से निजात पाने के लिए कार्य कर रहे हैं और उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.बी. के ईलाज के लिए रिसर्च आदि करके मैडिकल जगत में उल्लेखनीय योगदान दिया है तथा उक्त कार्य के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके कार्यो की सरहाना की है। विषयोक्त मामले मे उपायुक्त, फरीदाबाद द्वारा उपमण्डल अधिकारी (ना0), फरीदाबाद से रिपोर्ट ली गई। उपमण्डल अधिकारी (ना0), फरीदाबाद ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 272 / आर.के. दिनांक 02.08.2019 द्वारा रिपोर्ट की है कि डॉ. रमण कक्कड पुत्र श्री बी.एन.कक्कड म0नं0 593, सैक्टर–16, फरीदाबाद का स्थाई निवासी है तथा पेशे से डॉक्टर है, जिनको स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार ने पहले भी सम्मानित किया हुआ है। जिन्होने अपना पूरा जीवन टी.बी. के मरीजों के ईलाज एवं उसके शोध पर बिताया है। अब बी.के. अस्पताल में अपनी फ्री सेवा मरीजों को प्रदान कर रहे है। इन्होने अपने जीवन में बहुत सी किताबे भी लिखी हुई हैं। प्रार्थी पदमश्री अवार्ड लेने के योग्य है। डॉ. रमण कक्कड़ पुत्र श्री बी.एन.कक्कड म0नं0 593, सैक्टर–16, फरीदाबाद को उप–मण्डल अधिकारी (ना0), फरीदाबाद द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान करने की सिफारिश से उपायुक्त, फरीदाबाद ने भी सहमति / सिफारिश व्यक्त की है।

अतः उपरोक्त अनुसार उपायुक्त, फरीदाबाद की की गई सिफारिश के मध्यनजर डॉ. रमण कक्कड़ पुत्र श्री बी.एन.कक्कड म0नं0 593, सैक्टर–16, फरीदाबाद को पद्म पुरस्कार प्रदान करने हेतू मूल केस मय अनुलग्नक सिफारिश सहित आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

संलग्नः– मूल केस।

उप–अधीक्षक
कृतेः आयुक्त, फरीदाबाद मण्डल,
फरीदाबाद।
09.08.19